रा.प्रा.प्र.सं. 75/18 अहमद खां वि. सरकार

29.5.18	वकील अप्रा. प्रार्थी की मूल अपील विस्तृत विवेचन के साथ खारिज की जा चुकी है, के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान	
	अपर कलक्टर, नागौर	